//Page 1

दक्षिण अफ्रीका स्थित बड़ा सुराख़ या किम्बर्ली खदान, दुनिया में हाथ से खोदे गए सबसे बड़े सुराखों में से एक

अधिक जानकारी के लिए, <u>www.kimberleyprocess.com</u> या <u>www.giepc.org</u> के किम्बर्ली विभाग को देखें

आप जीजेइपीसी मुंबई एवं सूरत कार्यालय के केपी विभाग से भी संपर्क कर सकते है।

मुंबई: टावर बी, बीइ1010ए, बीडीबी, जी ब्लॉक बीकेसी, बांद्रा (पू), मुंबई- 400051

ईमेल kp@gjepcindia.com

ਟੇਨੀ: 022-26544600/26544711/712/713/714

सूरतः 401-ए, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य केंद्र, किदवाला विद्यालय के पास, रिंग रोड, सूरत 395002

ईमेल: <u>surat@gjepcindia.com</u>, टेली: 0261-2209000/2209016, फैक्स:0261-2209040

कॉनिफ्लिक्ट मुक्त हीरें

किम्बर्ली प्रोसेस सर्टीफिकेशन स्कीम

अपरिष्कृत हीरों के निष्पक्ष व्यापार की स्निश्चिती

<mark>//Page 2</mark>

केपीसीएसः ओवरव्यू

सन् 1998 में एक तथ्य दुनिया के समक्ष आया कि अंगोला, सिरीया लियोन, लाईबेरिया, कॉन्गो गणतंत्र के विद्रोही गुट अन्य वस्तुओं के अलावा अवैध रूप से प्राप्त किए गए हीरों –जिन्हें कॉनिफ्लक्ट हीरें कहा जाता है- को बेच कर वैध तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त सरकारों के विरुद्ध अपनी लड़ाई को वित्तपोषित कर रहे हैं। इसका खुलासा कुछ गैर सरकारी संगठनों जिनमें ग्लोबल विटनैस (GW), पार्टनरिशप अफ्रीका कनाडा (PAC) आदि ने किया था।

संयुक्त राष्ट्र ने इन देशों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यू एन एस सी) के रेजोल्यूशन नम्बर 1173/1176/1306/1343, में "कॉनिफलक्ट हीरों" का तात्पर्य उन अपरिष्कृत हीरों से है जिनहें विद्रोही व उनके सहयोगी वैध सरकारों को कमजोर बनाने के मकसद से अपने युद्ध को वित्तपोषित करने के लिए कर रहे हैं।

वैश्विक हीरा उद्योग ने तत्काल ही संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग करते हुए व अन्य सरकारों व गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर इन कॉनिफ्लक्ट हीरों के व्यापार को रोकने के उपाय ढ़ँढे। दो साल तक चली लंबी बातचीतों व समझौतों के फलस्वरुप किम्बर्ली प्रोसेस मेज़रस का अंतरिम प्रस्ताव चालीस से भी ज्यादा देशों (जिसमें यूरोपीय संघ भी एक गुट था) की सहमति से नवम्बर 2002 को इंटरलैकन में पारित ह्आ।

हीरा विशेषज्ञों ने यह अनुमान लगाया है कि कॉनिफ्लिक्ट हीरें वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय हीरा व्यापार का 1 प्रतिशत का अंश मात्र है जो की 1990 में 5% से अधिक था।

किम्बर्ली-प्रोसेस सर्टीफिकेशन स्कीम (केपीसीएस) 1 जनवरी 2003 को लागू हुई और आज यह कॉनिफ्लिक्ट हीरों के व्यापार को रोकने की एक प्रभावी तकनीक के रूप में उभरी है। मूलभुत रूप से यह योजना अपरिष्कृत हीरों के व्यापार तथा उत्पादन में संलग्न देशों को छेड़छाड़ विरोधी बक्सों में के. पी द्वारा जालसाजी निषेध प्रमाणपत्रों के साथ अधिकारिक रूप से व्यापार को सुनिश्चित करती है। तथा अपरिष्कृत हीरों का व्यापार केवल उन देशों के मध्य हो सकता है जिनमें पारस्परिक समझौता हो।

सरकार, उद्योग के दिग्गजों तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के अथक प्रयासों ने यह सुनिश्चित करने में मदद की कि कॉनिफ्लिक्ट हीरों दवारा उपजे भय के वातावरण को समाप्त किया जा सके।

हीरा विशेषज्ञों ने यह अनुमान लगाया है कि कॉनिफ्लिक्ट हीरें आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय हीरा व्यापार का 1 प्रतिशत का अंश मात्र है जो की 1990 में 5% से अधिक था।

किम्बर्ली-प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम, एक अभिनव त्रिपक्षीय प्रणाली है जिसमें सरकार, उद्योग गठबन्धन तथा नागरिक समाज के गठबंधन शामिल हैं। इसके द्वारा प्रतिभागियों पर ज़रूरतों को लागू करता है जिसके अंतर्गत अपरिष्कृत हीरों का लदान कॉनिफ्लक्ट हीरों से मुक्त है यह प्रमाणित करना होगा।

वर्तमान समय में, किम्बर्ली-प्रोसेस में चीन का तायपेय व 54 अन्य प्रतिभागी (यूरोपीय संघ के 28 एक गुट में), एक साथ विश्व के लगभग 98% अपरिष्कृत हीरों के व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है।

निम्नलिखित देश अपरिष्कृत हीरों का व्यापार बिना अग्रिम सूचना व केपीसीएस की इजाज़त के बिना नहीं कर सकते।

- अप्रेल 2014 में आईवरी कोस्ट पर से अपरिष्कृत हीरों के व्यापार पर लगी संयुक्त राष्ट्र संघ की रोक को हटा लिया गया।
- वेनेज़्यूला के बोलिवेरियन गणतंत्र ने स्वेच्छा से अपरिष्कृत हीरों के व्यापार पर अग्रिम सूचना तक रोक लगा दी है। इसलिए बोलिवेरियन गणतंत्र अब अपरिष्कृत हीरों का व्यापार नहीं कर सकता। (13 अगस्त 2008 का DGFT नोटिस संख्या 30 देखें)
- हीरे की खानों पर विद्रोहियों द्वारा कब्जा किए जाने की सूचना को ध्यान में रखते हुए मध्य अफ्रीकी गणतंत्र पर मई 2013 में अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। जिसके अन्तर्गत अपरिष्कृत हीरों के व्यापार पर अगली सूचना आने तक रोक लगी।

व्यापारिक सदस्यों को निर्देश दिया जाता है कि अपरिष्कृत हीरों के संदर्भ में उपर्युक्त जानकारियों का ध्यान रखें व विशेष सावधानी बरतें। व्यापारिक सदस्य प्रमाणपत्र की प्रमाणिकता पर किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में वास्तविक आयात से पहले किम्बर्ली विभाग के जीजेईपीसी के मुंबई व सूरत स्थित कार्यालयों की मदद ले सकते हैं।

//Page 3

अपरिष्कृत हीरों के व्यापार और वारंटीयों की प्रणाली

किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन योजना के अन्तर्गत यह अनिवार्य है कि प्रत्येक अपरिष्कृत हीरों का लदान (शिपमेंट) का निर्यात व आयात अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूर्ण्तया छेड्छाड़ विरोधी बक्सों में उक्त देश द्वारा प्रमाणित किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेट के साथ ही हो।

केपी समझौते की विश्वसनीयता को बढ़ाने व और मजबूत करने तथा उपभोक्ताओं को हीरों के उद्गम के बारे में और अधिक निश्चिंत करने के उद्देश्य से WFDB व हीरे की विश्व परिषद ने उद्योग से "वारंटीयों की प्रणाली"(System of Warranties) को बनाने व लागू करने का प्रस्ताव रखा है।

इस योजना में, जिसे सभी किम्बर्ली प्रोसेस प्रतिभागियों, अपरिष्कृत व परिष्कृत हीरों के क्रेताओं तथा विक्रेताओं ने समर्थित किया था, के अन्तर्गत सभी बिलों में यह स्वीकारोक्ति कथन होगा –

"इसके साथ इस चालान में कथित हीरे वैध स्रोतों से खरीदे गए हैं जो किसी भी कॉनिफ्लक्ट को वित्तपोषित नहीं करते व संयुक्त राष्ट्र के संकल्प का अनुपालन करते हैं। एतद्वारा विक्रेता गारंटी देता है की हीरे कॉनिफ्लक्ट मुक्त हैं तथा अपने व्यक्तिक समझ/ हीरों के प्रदायक द्वारा दी गई लिखित गारंटी"

कार्य समूह और समितियाँ

केपी में उपाध्यक्ष एक साल के लिए चुना जाता है जो अगले वर्ष स्वतः अध्यक्ष बन जाता है। इंटर सत्र तथा पूर्ण बैठकों का आयोजन उस देश में होता है जहाँ का अध्यक्ष नागरिक होता है।

किम्बर्ली प्रोसेस के प्रतिभागी देशों में कई समितियाँ व कार्य समूह हैं जो कि इसके सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करते हैं। वे इसके अन्तर्गत निगरानी, आंतरिक नियंत्रण, सांख्यिकी सूचनाओं को जमा करना व अन्य तकनीकी विषयों को देखते हैं। CPC को छोड़कर अन्य सभी कार्यसमूहों में अध्यक्षपद आज तक स्थायी है। पिछले वर्ष का अध्यक्ष देश उस साल CPC का अध्यक्ष होता है। विभिन्न कार्य समूह व समितियाँ निम्नलिखित हैं –

कार्य समूह	मुख्य क्षेत्र
निगरानी पर कार्य समूह (WGM)	निगरानी और आंतरिक नियंत्रण, आदि।
सांख्यिकी पर कार्य समूह (WGS)	सांख्यिकीय डेटा प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण, आदि।
हीरे के निर्यात पर कार्य समूह (WGDE)	तकनीकी मुद्दे, फुट प्रिंटिंग, एच एस प्रमाणीकरण, आदि।
अल्लुवीएल आर्टिसनल प्रोडक्शन पर कार्य	हीरे के उत्पादक देशों द्वारा सामना की गई समस्याएं, आदि।
समूह (WGAAP)	
नियमों और प्रक्रियाओं पर समिति (CRP)	केपी के कामकाज, बैठकों के संचालन के लिए और केपी में
	दस्तावेजों व फैसलों को अभिग्रहण करने के लिए कौनसे
	प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए,आदि।
भागीदारी और अध्यक्षता पर समिति	नए प्रतिभागियों की जांच, उपाध्यक्ष का चयन, आदि।
(CPC)	केपी की अध्यक्षता करनेवाला देश अवधि के पूरा होने पर
	अगले साल CPC का अध्यक्ष बन जाता है, आदि।

किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन योजना में भारत की प्रतिबद्धता

सबसे बड़े निर्माण केंद्र व अपरिष्कृत हीरे के प्रमुख आयातक देश होने के कारण भारत को अपरिष्कृत हीरों के उत्पादक देशों तथा परिष्कृत हीरों के प्रमुख उपभोक्ता देशों के बीच एक अनूठी जगह हासिल की है।

किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन योजना (केपीसीएस) भारत में 1 जनवरी 2003 में लागू हुई थी। भारत सरकार ने 13 नवम्बर 2002 को अपनी सूचना संख्या 12/13/2000/ईपी(जीजे) द्वारा जेम एण्ड ज्वैलरी प्रमोशन काउंसिल को किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन योजना के खण्ड IV (b) के तहत सभी आयात तथा निर्यात का अधिकारिक विभाग के रुप मे स्वीकृति दी है।

इसके अंतर्गत सभी केपीसी का सत्यापन तथा प्रचालन मुंबई व सूरत के जीजेईपीसी के कार्यालय तथा सूरत, विशाखापटनम, हैदराबाद तथा सीप्ज़ स्थित SEZ, के डेवलेपमेंट कमीश्नर के कार्यालय से होता है।

भारत सरकार (उत्पाद एवं सीमा शुल्क वित्त- केंद्रीय बोर्ड मंत्रालय) ने 23 जून 2003 को 2003 के सर्कूलर संख्या 53-Cus के तहत सूचित किया की विभाग की सभी इकाईयाँ अपरिष्कृत हीरों के आयात तथा निर्यात में किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन योजना में प्रस्तावित सभी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेंगी।

सन् 2008 में भारत ने किम्बर्ली प्रोसेस की अध्यक्षता की थी। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली प्रत्यक्ष रुप से केपीसीएस कार्य में शामिल रहे। वर्ष 2008 में भारत ने 3000 से अधिक निर्यात प्रमाणपत्र जारी किए व 25000 से अधिक लदान (शिपमेंट) आयात करने के प्रमाणपत्र जारी किए।

भारत WGM, WGS और WGDE कार्य समूहों का सदस्य है। साथ ही वह WGAAP समिति को छोड़कर CPC व CRP समिति का सदस्य है।

भारत में केपी के क्रियान्वयन के पुनर्वालोकन हेतु दो बार मुआइना करने के लिए बुलाया है। प्रथम बार 2004 व फिर 2010 में। भारत भी पुनर्वालोकन हेतु अन्य देशों जैसे अर्मेनिया, बेलारुस, यूक्रेन, मॉरिशीयस, यूरोपीय संघ, अमेरीका के दौरे कर चुका है।

भारत के लिए केपीसीएस का महत्व इस बात से ही जाहिर हो जाता है कि लगभग दस लाख लोग इस उद्योग से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं व भारत के कुल निर्यात आय में परिष्कृत हीरों का 20 अरब का योगदान है।

भारत में केपीसीएस की प्रक्रिया जून 2003 कस्टम के परिपत्र संख्या 53 द्वारा संचालित होती है। जो की परिशिष्ट 1

<mark>//Page 4</mark>

GJPEC की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं। आयात व निर्यात के लिए कृपया परिशिष्ट 2 में दिए आवेदन प्रारुप तथा परिशिष्ट 3 में दिए स्टॉक घोषणा के प्रारुप को देखें

आयात के लिए: परिषद में जमा किए जाने वाले प्रपत्र

1. आयात के लिए आवेदन (परिशिष्ट 2 में दिए प्रारुप के समान)

- 2. केपी प्रमाणपत्र की छायाप्रति
- 3. आयात बिल व घोषणापत्र की छायाप्रति
- 4. हाउस एअरवे बिल की छायाप्रति
- 5. केपी प्रोसेसिंग चार्जेस के लिए डिमाण्ड ड्राफ्ट/चेक
 - अ) सदस्यों के लिए Rs 910 का डिमाण्ड ड्राफ्ट (Rs 500 प्रोसेसिंग शुल्क + Rs 310 डाक व्यय+ 12.36% सेवा शुल्क) रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पक्ष में
 - आ) गैर सदस्यी आवेदको के लिए Rs 2034 का डिमाण्ड ड्राफ्ट (Rs 1500 प्रोसेसिंग शुल्क + Rs 310 डाक व्यय+ 12.36% सेवा शुल्क) रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पक्ष में
- 6. प्रथम बार आयात व निर्यात कोड फिर जब भी माँगा जाए यदि पते में बदलाव हुआ है।
- 7. वित्त वर्ष की स्टॉक घोषणा (वार्षिक जैसा की परिशिष्ट 3 के प्रारुप में दिया हुआ है)

निर्यात के लिए: परिषद में जमा किए जाने वाले प्रपत्र

- 1. निर्यात के लिए आवेदन (परिशिष्ट 2 में दिए प्रारुप के समान)
- 2. निर्यात बिल की प्रति पार्टनर/मालिक/डायरेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित
- निर्यात किए जा रहे हीरों का स्रोत। स्थानीय खरीद अथवा केपी के अंतर्गत आयात किए गए
 (आयात प्रति अथवा बिल/क्रय बिल जिसमें संवैधानिक घोषणा दी हो)
- 4. अपरिष्कृत हीरों के निर्यात किए जाने की वजह।
- 5. केपी प्रोसेसिंग चार्जेस के लिए डिमाण्ड ड्राफ्ट/चेक
 - अ) सदस्यों के लिए Rs 910 का डिमाण्ड ड्राफ्ट (Rs 500 प्रोसेसिंग शुल्क + Rs 310 डाक व्यय+ 12.36% सेवा शुल्क) रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पक्ष में
 - आ) गैर सदस्यी आवेदको के लिए Rs 2034 का डिमाण्ड ड्राफ्ट (Rs 1500 प्रोसेसिंग शुल्क + Rs 310 डाक व्यय+ 12.36% सेवा शुल्क) रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पक्ष में
- 6. प्रथम बार आयात व निर्यात कोड फिर जब भी माँगा जाए यदि पते में बदलाव हुआ है।
- 7. वित्त वर्ष की स्टॉक घोषणा (वार्षिक जैसा की परिशिष्ट 3 के प्रारुप में दिया हुआ है)

इकाईयाँ जो की मुंबई, सूरत, हैदराबाद व विशाखापद्दनम के विशिष्ट आर्थिक जोन में स्थित हैं वे अपने क्षेत्र के 'विकास आयुक्त के कार्यालय' से केपीसीएस के लिए संपर्क कर सकते हैं। अनुबंध-!

परिपत्र सं 53/2003-सीयूएस.

23 जून, 2003

F. No. 314/33/2002-एफटीटी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क विभाग का केन्द्रीय बोर्ड

विषय: अपरिष्कृत हीरों के लिए किम्बर्ली प्रोसेस प्रमाणन योजना (केपीसीएस)- कार्यान्वन-पंजी

मुझे निर्देश दिया गया है की मैं आपका ध्यान विदेशी कारोबार महानिदेशक (डीजीएफटी) द्वारा निर्यात एवं आयात अधिनियम के पैराग्राफ 2.2 को संशोधित करने के लिए 26-12-2002 के अधिसूचना सं. 21/2002-07 की तरफ आकर्षित करूं जिसमें ये लिखा गया है की अपिरष्कृत हीरों की आयात या निर्यात की अनुमित तब तक नहीं दी जायगी जब तक पार्सल के साथ रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेइपीसी) द्वारा दि गयी प्रक्रिया के हिसाब से उसमे किम्बर्ली प्रोसेस (केपी) प्रमाण पत्र नहीं होगा। कृपया 10-1-2003 को डीजीएफटी द्वारा जारी किये गये दूसरे अधिसूचना 23/2002-07 पर भी ध्यान दें जिसमे 1.1.2003 के बाद 2 महीनो की अविध के लिए परिवर्ती व्यवस्था के तौर पर किम्बर्ली प्रोसेस प्रमाण पत्र की जगह "लैटर ऑफ़ कम्फर्ट" को स्वीकार किया जा सकता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 13-11-2002 को जारी किये अपने पत्र सं. 12/13/2000-इपी (जी&जे) से जीजेइपीसी को किम्बर्ली प्रोसेस प्रमाणन योजना (केपीसीएस) के सेक्शन IV (b) के अंतर्गत "आयात एवं निर्यात प्राधिकरण" के तौर पर पदनामित किया है।

अपरिष्कृत हीरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन योजना "किम्बर्ली प्रोसेस प्रमाणन योजना" का 5 नवंबर 2002 को इंटरलेकन, स्विट्ज़रलैंड में हुई मंत्रालय सभा में अंगीकरण किया गया था। भारत इंटरलेकन डिक्लेरेशन का हस्ताक्षरकर्ता है। इस योजना का जन्म कॉनिफ्लक्ट हीरें, जो की वो अपरिष्कृत हीरें हैं जिनका व्यापार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति द्वारा वर्जित है क्यूंकि उस व्यपार के पैसों का इस्तेमाल वैध सरकार को हटाने में विद्रोही आंदोलन एवं उनके

साथियों को कॉनिफ्लिक्ट के लिए वित्तीय मदद प्रदान करने के लिए होता है, के मुद्दे को हल करने के लिए हुआ था। योजना की विस्तृत जानकारी वेबसाइट लिंक पर उपलब्ध हैं।

केपी प्रमाण पत्र एक फर्जीवाड़ा-रहित विशिष्ट फॉर्मेट (सैंपल प्रतिलिप संलग्न है) वाला दस्तावेज़ है जो प्रमाणन योजना (केपीसीएस) की ज़रूरतों के हिसाब से आये अपरिष्कृत हीरों के शिपमेंट को पहचानता है। केपी प्रमाण पत्र के अन्दर "किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेट", उद्गम दवश, सर्टिफिकेट संख्या, जारी करने की तिथि, समाप्ति की तिथि, जारी करने वाला प्राधिकरण, आयातक एवं निर्यातक की जानकारी, कैरट भार, यूएस \$ में कीमत, शिपमेंट में पार्सल की संख्या, प्रासंगिक एचएस कोड और निर्यातक प्राधिकरण द्वारा सर्टिफिकेट की वैधता। आगे इसमें और भी जानकारियां हो सकती हैं जैसे की गुणवत्ता, शिपमेंट में अपरिष्कृत हीरों की विशिष्टता आदि।

केपीसीएस की ज़रूरतों का पालन करने के लिए, हर आयात एवं निर्यात के शिपमेंट के साथ केपी सर्टिफिकेट होना चाहिए और योजना लागू करने की प्रक्रिया निचे के हिसाब से होनी चाहिए:-

<mark>//Page 5</mark>

आयातः

31) अपरिष्कृत हीरों का आयातित लदान किम्बर्ली प्रोसेस सर्टीफ़िकेट व अन्य निर्यात व आयात प्रपत्रों के साथ जो कि इन व्यापारिक आदान प्रदान में जरुरी होते हैं को संलग्न करें। आयातकर्ता सपलायर को बािक जरुरी निर्देश प्रदान करे जैसे कि केपी प्रमाणपत्र उक्त अधिकारिणी या निर्यातित देश द्वारा प्रदान किया है व प्रमाणपत्र उक्त पार्सल में है तथा उसका क्रमांक कंटेनर पर लिखित है। पार्सल के पहुँचने या उससे पहले आयातकर्ता या उसका प्रतिनिधि सभी प्रमाणपत्रों की एक प्रति जिसमें एअरवे बिल, सामान की सूची व बिल जीजेईपीसी कार्यालय में जमा करेंगे जिससे उनका सत्यापन हो सके। जीजेईपीसी जाँच के बाद अगर सभी जानकारी व प्रपत्र सही पाए जाते हैं तो अपनी अनुजपित केपी प्रमाणपत्र की प्रति पर दे देगा। "चालान के साथ दिए गए प्रपत्र और घोषणापत्र साथ में केपी प्रमाणपत्र को सत्यापित कर हस्ताक्षर किए।"

आ. आयातकर्ता /CHA को जीजेईपीसी द्वारा अनुज्ञापित की गई केपी प्रमाणपत्र की प्रति को आयात के अन्य प्रपत्रों के साथ बिल ऑफ एंट्री के वक्त जिससे अपरिष्कृत हीरों को क्लिएरेंस मिल दिया जाना चाहिए। आयातकर्ता केपी प्रमाणपत्र का नम्बर तथा जारी होने की तिथि सभी प्रतियों पर सामान के विवर्ण के नीचे बिल ऑफ एंट्री के लिए लिखे। बिल ऑफ एंट्री की प्रत्यक्ष रूप से जाँच होगी जिसमें प्रत्येक लॉट का 25% सामान जाँचा जाएगा। तत्तपश्चात कस्टम केपी प्रमाणपत्र की प्रति जिसे जीजेईपीसी ने सत्यापित किया है उसको अनुज्ञापित करेगा व पुष्टि करेगा की सभी सामान को बिल ऑफ एंट्री _____ दिनांक ____ द्वारा क्लीअर किया जा चुका है व मूल प्रति को रख लेगा। जीजेईपीसी का अधिकृत प्रतिनिधि सभी केपी प्रमाणपत्र की मूलप्रतियों को प्रत्येक दिन कस्टम से शाम 6 बजे लेगा व आयातकर्ता को वापस करेगा।

निर्यातः समीति में जमा किए जाने वाले प्रपत्रों का ब्यौरा

C. निर्यात किया जाने वाले पार्सल के साथ जीजेईपीसी द्वारा पास किया गया केपी प्रमाणपत्र तथा इसके मद्देनजर निर्यातक अथवा उसका कोई अधिकृत प्रतिनिधि अपरिष्कृत हीरों की पैकिंग कि सूची को बिल सिहत जीजेईपीसी को केपी प्रमाणपत्र लेने के लिए देगा। जीजेईपीसी का संबंधित अधिकारी सभी प्रपत्रों की जाँच करने के बाद एक त्रिपक्षिय केपी प्रमाणपत्र जारी करेगा जिसमें तीनों प्रतियों में हस्ताक्षर व मृहर के साथ-साथ प्रमाणपत्र का क्रमांक लिखा होगा। एक प्रति जीजेईपीसी के पास रहेगी और बाकी की दोनों प्रतियाँ निर्यातक या उसके प्रतिनिधि को दे दी जाएँगी। निर्यातक/CHA शिपिंब बिल, बिल, पैकिंग की सूची के साथ केपी प्रमाणपत्र की दो प्रतियाँ जमा करेगा। निर्यातक केपी प्रमाणपत्र का क्रमांक प्रत्येक शिपिंग बिल की प्रति पर मदों के विवरण के नीचे लिखेगा। सीमाशुल्क विभाग हर माल को खोलेगा, हर निर्यात पार्सल में रखे मूल केपी प्रमाणपत्र को केपी प्रमाणपत्र की अनुलिपि के साथ मिला कर जांचेगा, एवं एक इकाई के न्यून्तम माल के हिसाब से भौतिक रूप से हर माल के 25% को जांचेगा। माल की जांच के बाद, पार्सल को सीमाशुल्क द्वारा सील किया जाएगा यह सुनिश्चित करते हुए की मूल केपी प्रमाणपत्र पार्सल के अन्दर रखा जाये। केपी प्रमाणपत्र की एक प्रतिलिपि शिपिंग बिल के साथ संलग्न की जायगी एवं दूसरी प्रतिलिपि निर्यातक को दे दी जायगी। मंजिल पर माल के निर्वाधन के लिए निर्यातक केपी प्रमाणपत्र की एक प्रतिलिपि शिपिंग दिल के साथ विदेशी 7 को भेजेगा।

D. अपरिष्कृत हीरों के आयात-निर्यात मालों के निर्बाधन के लिए बाकी सभी प्रक्रियाएं अपरिवर्तित रहेंगी। ये स्पष्ट किया जाता है अपरिष्कृत हीरों के आयात एवं निर्यात मालों के निर्वाधन की अनुमित सीमाशुल्क नहीं देगा जब तक पिछले पैराग्राफ में उल्लिखित केपी प्रमाणपत्र माल के साथ संलग्न नहीं होगा।

- 5. अपरिष्कृत हीरों के भौतिक आयात एवं निर्यात के होने पर उपर्युक्त प्रक्रिया से इओय्आईएसइज़ेड पर मुतातिस मुतान्दिस लागू करना चाहिए। इओय्/एसइज़ेड योजना के अंतर्गत इकाई द्वारा अपरिष्कृत हीरों के भौतिक आयात एवं निर्यात के निर्वाधन की अनुमित तभी मिलेगी जब अपरिष्कृत हीरों के ऐसे आयात एवं निर्यात माल के साथ केपी प्रमाणपत्र संलग्न होगा।
- 6. अगर अपरिष्कृत हीरों के माल के साथ केपी प्रमाणपत्र संलग्न नहीं होगा, लेकिन बाकी सब वैध होगा, तो भारत में आयातक को दिए गये आयात माल के निर्वाधन के लिए केपी प्रमाणपत्र दिखाने के लिए 7 कार्यदिवस दिए जायंगे। अगर आयातक दी गयी 7 कार्यदिवस की अविध में मूल केपी प्रमाणपत्र ज़मा नहीं करवा पाता है तो माल उद्गम देश के निर्यातक प्राधिकरण (प्रमाणन प्राधिकरण) को वापिस भेज दिया जाएगा। इस विषय में सभी औपचारिकताएं जीजेइपीसी द्वारा पूरी की जायंगी एवं ऐसी शिपमेंट का सारा खर्च भी जीजेइपीसी वहन करेगी।
- 7. व्यक्तिगत सामान से अपरिष्कृत हीरों के आयात की स्थिती में, इओयूआईएसइज़ेड जैसी निर्यात प्रचार योजना के अंतर्गत अनुमित मिलने के बाद, उपर्युक्त प्रक्रिया मुतातिस मुतान्दिस लागू करेगी अगर अपरिष्कृत हीरों सीमाशुल्क विभाग को प्रस्थान बंदरगाह और साथ ही साथ आगमन बंदरगाह पर दिखाए गये हों और बाकी दस्तावेज़ जैसे बिल, भुगतान रसीद आदि यात्री द्वारा हवाई-अइडे पर सीमाशुल्क को दिखाए गये हो। अगर अपरिष्कृत हीरों को किसी भी उल्लंघन की वजह से सीमाशुल्क अधिनियम के वर्ग 111 के अंतर्गत जब्त करने के लिए उत्तरदायी होंगे तो माल सीमाशुल्क द्वारा बिलकुल जब्त कर लिया जाएगा।
- 8. इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए की केपीसीएस योजना के अंतर्गत केपी प्रमाणपत्र जारी करने के समय माल हमेसा प्रमाणन प्राधिकरण द्वारा भौतिक रूप से निरीक्षित नहीं किया जाता। ऐसे ही रत्न एवं ज्वेलरी निर्यात प्रचार परिषद केपी प्रमाणपत्र जारी करने से पहले निर्यात माल का भौतिक निरिक्षण नहीं करता।

इसलिए, आयात एवं निर्यात माल के निरिक्षण के दौरान इस पहलु का ध्यान रखना चाहिए।

- 9. इस विषय में जन सुचना जारी करके व्यापक प्रचार करना चाहिए।
- 10. कृपया इस परिपत्र के मिलने की स्वीकृति दें।
- 11. हिंदी संस्करण जल्द ही आएगा।

सीपी गोयल

एसटीओ (एफटीटी)

फोन 011-23093859

<mark>//Page 6</mark>

10 साल

किम्बर्ली प्रोसेस

प्रमाणन योजना

कॉनिफ्लक्ट हीरों के प्रवाह को रोकने के 10 साल

अनुबंध- ॥

आवेदक के सरनामे पर

भारत से अपरिष्कृत हीरों के निर्यात/आयात के किम्बर्ली प्रोसेस सर्टीफ़िकेट के अनुमोदन के लिए आवेदन

को,

दिनांक:

रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद,

(जीजेइपीसी का मुंबई या सूरत का पता)

माननीय महोदय,

भारत में/से अपरिष्कृत हीरों के निर्यात/आयात के लिए किम्बर्ली प्रोसेस सर्टीफ़िकेट जारी करने के लिए हम निचे दी गयी जानकारी के हिसाब से आवेदन संलग्न कर रहे हैं:

ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण सं :-

ऑनलाइन आवेदन दिया गया :-

सदस्यता सं अगर है तो :-

मंजिल/उद्गम का देश :-

आयातक का नाम & पता :-

बिल सं / दिनांक :-

(बिल की प्रतिलिपि संलग्न है)

एचएस कोड सं :-

पार्सल्स की संख्या :-

कैरट भार / मात्रा :-

यूएस \$ में मूल्य :-

उद्गम का देश :-

घोषणा

"चालान किये गये हीरें वैध स्त्रोत से खरीदें गये हैं जिनमे कोई निधिकरण कॉनिफ्लिक्ट नहीं है और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के हिसाब से मान्य हैं। हीरों के संभरक द्वारा दी गयी व्यक्तिगत जानकारी और/या लिखित गारंटी के हिसाब से विक्रेता इस बात की गारंटी देता है की हीरें कॉनिफ्लिक्ट से मुक्त हैं।"

हिस्सेदार / निदेशक / मालिक / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

की मुहर एवं हस्ताक्षर

संलग्न: निर्यात के लिए: हस्ताक्षरित निर्यात बिल की प्रतिलिपि / आयात केपीसी की प्रतिलिपि / स्थानीय खरीदी बिल / निर्यात का कारण।

संलग्नः आयात के लिएः केपी प्रमाणपत्र की साफ़ फोटो कॉपी/ हस्ताक्षरित आयात बिल की प्रतिलिपि।

//Page 7

अन्बंध - ॥

आवेदक के सरनामे पर-

जीजेइपीसी के गैर-सदस्यों द्वारा लेखाधिकारी से प्रमाणित

को,

रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद,

(जीजेइपीसी का मुंबई या सूरत का पता)

विषय: अवधि के लिए अपरिष्कृत हीरों के स्टॉक का ब्यौरा

कैरट

1 अप्रैल को अपरिष्कृत हीरों का पहला स्टॉक	
किम्बर्ली प्रोसेस के अंतर्गत आयात	
घोषणा के साथ लोकल खरीददारी	
सब टोटल- ए	
घोषणा के साथ स्थानीय बिक्री	
उत्पादन के लिए इस्तेमाल	
किम्बर्ली प्रोसेस के अंतर्गत निर्यात	
अन्य (कृपया ब्यौरा दें)	
सब टोटल- बी	
अपरिष्कृत हीरों का 31 मार्च को आखिरी	
स्टॉक (ए+बी)	

"चालान किये गये हीरें वैध स्त्रोत से खरीदें गये हैं जिनमे कोई निधिकरण कॉनिफ्लिक्ट नहीं है और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के हिसाब से मान्य हैं। हीरों के संभरक द्वारा दी गयी व्यक्तिगत जानकारी और/या लिखित गारंटी के हिसाब से विक्रेता इस बात की गारंटी देता है की हीरें कॉनिफ्लिक्ट से मुक्त हैं।"

आईइसी सं:

पैन सं:

हिस्सेदार/ निदेशक/ मालिक/ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

की मुहर एवं हस्ताक्षर

लेखाधिकारी की मुहर एवं हस्ताक्षर

आप जीजेइपीसी मुंबई एवं सूरत कार्यालय के केपी विभाग से भी संपर्क कर सकते है।

मुंबई: टावर बी, बीइ1010ए, बीडीबी, जी ब्लॉक बीकेसी, बांद्रा (पू), मुंबई- 400051

ईमेल kp@gjepcindia.com

<u>ਟੇ</u>ਕੀ: 022-26544600/26544711/712/713/714

सूरतः 401-ए, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य केंद्र, किदवाला विद्यालय के पास, रिंग रोड, सूरत 395002

ईमेल: <u>surat@gjepcindia.com</u>, टेली: 0261-2209000/2209016, फैक्स:0261-2209040